न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री सी0आर0मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2023/71) जिला–नागौर

1. बाबूड़ी पत्नी मांगीलाल
2. भूराराम पुत्र मांगीलाल
3. हनुमानराम पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी धूंधवालों की ढाणी अलाय तहसील व जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. देवी लाल पुत्र ताजूराम
2. मघाराम पुत्र ताजूराम
3. मोहनराम पुत्र ताजूराम
4. सोहनराम पुत्र ताजूराम जाति मेघवाल निवासी घूंधवालों की ढाणी अलाय तहसील व जिला नागौर।
5. राजेश वर्मा पुत्र ललूराम जाति बैरवा
6. ललूराम पुत्र किशनलाल जाति बैरवा निवासी बरकतनगर टोंक फाटक तहसील व जिला जयपुर
7. तहसीलदार नागौर।

––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, नागौर दिनांक 16–01–2023
अन्तर्गत राजस्व प्रकरण संख्या 14/2022
बउनवान देवीलाल वगैरह बनाम भूराराम वगैरह

————

उपस्थित– 1. श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री नरसिंह रावत अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांकः– 05–06–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत ग्राम धूंधवालों की ढाणी तहसील नागौर

स्थित खातेदारी कृषि भूमि जिसके खसरा नम्बर 2155/1248 हाल रकबा 1.6390 है0 है तथा प्रत्यर्थीगण पड़ौसी होकर वाद विवाद उत्पन्न करता रहता है। अपीलार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 1247 रकबा 3.1161 हैक्टर है। अतः खातेदारी की आराजियात की पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–01–2023 द्वारा प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार कर अपीलार्थीगण को सूचित किये बिना तहसीलदार नागौर को कमिश्नर नियुक्त कर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, नागौर के उक्त आदेश दिनांक 16–01–2023 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण 1 व 2 द्वारा राजीनामा मय वकालतनामा प्रस्तुत करने पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं है क्योंकि धारा 128 में सुनने का क्षैत्राधिकार तहसीलदार को होता है तथा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष धारा 111 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर अपील स्वीकार की है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायलय द्वारा चारो ओर के पड़ौसी खेतों के खातेदारों को पक्षकार बनाए बिना आदेश पारित किया है तथा अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर ने अपीलार्थीगण को जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है क्योंकि पत्थरगढी मात्र आवेदनकर्ता के एकमात्र खसरे की नहीं हो सकती है सभी चारो तरफ के खेतों को भी मुस्तकिल मुटाम से नापना आवश्यक है अन्यथा मौके पर रकबे में परिवर्तन हो जायेगा। विवादित आराजियात के गत एवं हाल नक्शे एवं मौके पर भौतिक स्थिति भिन्न है इस कारण मात्र आवेदनकर्ता के खसरे का नापना संभव नहीं है जबकि नक्शा दुरूस्त कर ही मुस्तकिल मुटाम से सभी खसरो को नापते हुए आवेदनकर्ता का खेत की पत्थरगढी की जा सकती है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार नागौर भूमिधारी प्रतिनिधि होकर आवश्यक पक्षकार है जिससे लिखित में जवाब लिये बिना तथा मौका रिपोर्ट प्राप्त किये बिना पारित आदेश निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थीगण ने अपना खेत खसरा नम्बर 2155/1248 अंकित किया है जो मूल खसरा नम्बर 1248 बड़ा रकबा का एक भाग

है जसके पृथक–पृथक भागों में बेचान हुए है इस प्रकार कई टुकड़े हुए है जो राजस्व रेकार्ड से साबित है जिस कारण सभी सहहिस्सेदार खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना तथा मूल खसरा का नापचोप करवाया जाना आवश्यक है क्योंकि बरवक्त टुकड़े तरमीम एवं भौतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है जिसे दुरूस्त किये बिना मूल खसरा को एकीकृत कर नापचोप किये बिना पारित आदेश निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–2023 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2 के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 29–5–2023 को जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य आपसी समझाईश एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। खसरा नम्बर 2155/1248 वाके मौजा धुंधवालों की ढाणी तहसील व जिला नागौर की पत्थरगढी नहीं करवाना चाहते है व पुरानी सीवें माठे जो पीढ़ियों से कायम है उसी अनुसार सींवे माठे रखना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–01–2023 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत प्रकरण दर्ज कर एकपक्षीय रूप से अपीलार्थीगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एवं विवादित आराजियात से सटे हुए पड़ौसी खातेदारों को भी पक्षकार बनाए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जबकि नियमों के अन्तर्गत पड़ौसी खातेदारों को पक्षकार बनाकर एवं अपीलार्थीगण को विधिवत नोटिस तामील करवाकर सुना जाकर मुस्तकिल मुटाम से पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश पारित किये जाने चाहिए थे। इस प्रकार तहत न्यायालय का आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 व 128 के अनुरूप नहीं होने से खारिज योग्य है और चूंकि अब प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस न्ययालय के समक्ष यह निवेदन किया है कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य आपसी समझाईश एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। खसरा नम्बर 2155/1248 रकबा 1.6390 वाके मौजा धुंधवालों की ढाणी तहसील व जिला नागौर की पत्थरगढी नहीं करवाना चाहते है व पुरानी सीवें माठे जो पीढ़ियों से कायम है उसी अनुसार सींवे माठे रखना चाहते है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 16–01–2023 त्रूटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–01–2023 अन्तर्गत राजस्व प्रकरण संख्या 14/2022 देवीलाल वगैरह बनाम भूराराम वगैरह विधिसम्मत नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05–06–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी0आर0मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर